

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2025 राजस्व अपील

1. विजयसिंह पुत्र हीराचंद जाति मीना निवासी पाडली तहसील महवा जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा दिनांक 24.11.2022 प्रकरण
उनवानी सरकार बनाम विजयसिंह प्रकरण संख्या 130/2022 अन्तर्गत धारा 91 राज.
लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री राकेश जैमन, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।


:- निर्णय :-

दिनांक: 27.04.2026

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का समलेटी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलान्त द्वारा ग्राम पाडली तहसील महवा स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 496 रकबा 5.02 है0 में से 0.04 है0 भूमि पर झोपडी टीन शेड का पक्का कमरा, बाडा व पक्की बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा द्वारा निर्णय दिनांक 24.11.2022 पारित कर अपीलान्त को उक्त भूमि पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 24.11.2022 के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना सुने, नोटिस दिये बिना एक तरफा में विधि विरुद्ध तरीके से निर्णय पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को जवाब, साक्ष्य, सबूत, जिरह, क्रोस एक्जामिनेशन का अवसर दिये बिना ही अपीलान्त की बेदखली करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्त भूमि हीन, वृद्ध ग्रामीण काशतकार व्यक्ति है अपीलान्त व अपीलान्त के परिजनों के पास किसी प्रकार की कृषि भूमि या आबादी में आवासीय भूमि नहीं है। अपीलान्त अरशे दराज से उक्त भूमि में रिहायश बनाकर रह रहा है। अपीलान्त का उक्त गांव व भूमि में राशन कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड बने हुये हैं, उक्त भूमि का मालिकाना हक लेने के लिए अपीलान्त ने सिविल न्यायालय सिविल न्यायाधीश की अदालत में सिविल वाद अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है जो लम्बित है अत अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 24.11.2022 को निरस्त फरमावें।


अति. जिला कलक्टर
दौसा




जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का समलेटी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा के समक्ष अपीलान्त द्वारा ग्राम पाडली तहसील महवा स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 496 रकबा 5.02 है0 में से 0.04 है0 भूमि पर झोपडी टीन शेड का पक्का कमरा, बाडा व पक्की बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा द्वारा अपीलान्त को विधिवत् नोटिस जारी कर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 24.11.2022 पारित कर अपीलान्त को उक्त भूमि पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा ग्राम पाडली तहसील महवा स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 496 रकबा 5.02 है0 में से 0.04 है0 भूमि पर झोपडी टीन शेड का पक्का कमरा, बाडा व पक्की बाउंड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलान्त आदेश दिनांक 24.11.2022 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।



निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


27/4/26
(अरविन्द शर्मा)

अति. जिला कलक्टर, दौसा


27/4/26
(अरविन्द शर्मा)

अति. जिला कलक्टर, दौसा